समाहरणालय, मधेपुरा।

(जिला शस्त्र शाखा)

-: आदेश :-

मो0 अब्दुल खालिक, पे0 मो0 वसीर अहमद, सा0-वार्ड नं0-4/8, थाना+जिला मधेपुरा ने लिखित रूप में आवेदन देकर सूचित किया है कि इनके नाम से दो नाली बन्दुक अनुज्ञप्ति सं0-273/3438(सहरसा) निर्गत है, जिस पर दो नाली बन्दुक सं0-87713 धारित है। अपनी बीमारी एवं बुढ़ा हो जाने के कारण शस्त्र रखना नहीं चाहते हैं। इन्होंने उक्त शस्त्र को उचित मूल्य पर मेसर्स बिहार गन हाउस, मधेपुरा के यहाँ बेचना चाहते हैं और अपने नाम से निर्गत अनुज्ञप्ति सं0-273/3438 को रद्द करवाना चाहते हैं।

मो0 फुरकान आलम, अधिकृत विक्रेता, मेसर्स बिहार गन हाउस, मधेपुरा ने अपने पत्रांक शून्य दिनांक 07-11-2013 के द्वारा मो0 अब्दुल खालिक, पे0 मो0 वसीर अहमद, सा0-वार्ड नं0-4/8, थाना+जिला मधेपुरा के नाम से धारित दो नाली बन्दुक सं0-87713 को खरीदने के लिए अपना सहमति पत्र समर्पित किया है।

अतएव उल्लेखित परिपेक्ष्य में अनुज्ञप्तिधारी मो0 अब्दुल खालिक से प्राप्त आवेदन एवं अधिकृत विक्रेता से प्राप्त सहमति पत्र के आलोक में शस्त्र अधिनियम-1959 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपस में शस्त्र क्रय-विक्रय करने की स्वीकृति इस शर्त्त के साथ दी जाती है कि वे शस्त्र खरीदगी के उपरान्त तत्क्षण जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा को इसकी सूचना देंगे। साथ ही श्री आलम के नाम से निर्गत दो नाली बन्दुक अनुज्ञप्ति सं0-273/3438 को रद्द किया जाता है।

जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि श्री आलम द्वारा समर्पित मूल अनुज्ञप्ति पुस्त एवं मूल अनुज्ञप्ति पंजी पर उक्त आशय की प्रवृष्टि करवा कर हस्ताक्षर करेंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

Dmeena 12/3/14

जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 86 /शस्त्र, दिनांक 12.03.14

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/ थानाध्यक्ष, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : मो0 अब्दुल खालिक, पे0 मो0 वसीर अहमद, सा0-वार्ड नं0-4/8, थाना+जिला मधेपुरा/ मो0 फुरकान आलम, अधिकृत शस्त्र विक्रेता, मेसर्स बिहार गन हाउस, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

Dmeena 12/3/14

जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।